राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2016/4861–73   जयपुर,दिनांक 10/05/16

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
भीलवाड़ा।

विषयः– अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार अभावग्रस्त ग्रामों में पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.1(1)(4) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2015/14226–66 दिनांक 19.12.2015 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 15.07.2016 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में पशु शिविर संचालन करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डो के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/ आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने के लिये राहत सहायता की स्वीकृति सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी करने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. जिला कलेक्टर विभागीय दिशा–निर्देश जारी होने की दिनांक से 23.6.2016 तक एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशु शिविर संचालन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम सें प्राप्त करें। इसके पश्चात् कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावे।
2. जिले के अभावग्रस्त ग्रामों से सम्बन्धित तहसीलों में आवश्यकतानुसार किन्तु अधिकतम 5 पशु शिविर प्रति तहसील के संचालन हेतु ही स्वीकृति जारी की जावे। इन पशु शिविरों के संचालन हेतु स्थानों का निर्धारण उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार किया जावे। जिन पंचायतों में पंजीकृत गौशाला है उन पंचायतों में पशु शिविरों की स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
3. सम्बन्धित तहसीलदार उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित स्थानों पर पशु शिविरों के प्रस्ताव उक्तानुसार प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर पशु संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन–पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित जिला कलेक्टर को प्रेषित करें। **यदि तहसीलदार पशु शिविर संचालकों के आवेदन की तहसील में प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रस्ताव का निस्तारण/जिला कलेक्टर को प्रेषित नहीं करता है तो जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को सूचित करेंगे।**
4. **राज्य कार्यकारी समिति के निर्णयानुसार जिला कलेक्टर तहसीलदारों से प्राप्त प्रस्तावों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि कर प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित पशु शिविर संचालकों को 90 दिवस या अभाव अवधि की अंतिम तिथि 15.7.2016 जो भी पहले हो तक, की अवधि के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पशु संख्या के अनुसार इन दिशा–निर्देशों के जारी होने के पश्चात् से राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। विभाग स्तर से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी। एक सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने की स्थिति में**

सॉफ्टवेयर प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही ब्लॉक हो जायेगी। समय पर (एक सप्ताह के भीतर) प्रस्ताव का निस्तारण नहीं करने के कारण जिला कलेक्टर या सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना एवं विलम्ब के कारणों सहित प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग को प्रेषित करेंगे व विभाग विलम्ब के औचित्य का परीक्षण कर प्रस्ताव के स्वीकृति/निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत करेगा।

5. **जिला कलेक्टर अभावग्रस्त ग्रामों में पशु शिविर संचालकों को विभागीय दिशा–निर्देशों के जारी होने की तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रकिया अनुसार पशु शिविर संचालन हेतु राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना प्रारम्भ करेंगे, परन्तु 30 जून, 2016 के पश्चात् पशु शिविर राहत सहायता की कोई भी स्वीकृति जारी नहीं करेंगे।**
6. **पशु शिविर को राहत सहायता किसी भी परिस्थिति में तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगी। जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।**
7. पशु शिविर का संचालन केवल राजकीय संस्था एवं पंचायतीराज संस्था के माध्यम से ही करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।
8. गत वर्षो में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालको के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते है एवं सुबह –शाम पशुओं को लेकर जाते है। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:–

(i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।

(ii) पशु शिविर में पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि हो।

(iii) यदि पशुपालको द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।

(iv) एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 70/– रूपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 35/–रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु राहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु–आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 16/– रूपये बड़े पशु तथा 8/– रू. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।

(vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे गये रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।

9. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:–

(i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम

(ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक

(iii) संस्थान का नाम जहॉ शिविर चलाया जाएगा।

(iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो

(v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान

(vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें

(vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।

(viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक

(ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया

(x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम

(xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो

(xii) संस्था के प्रबन्धक/ अध्यक्ष एवं सचिव का नाम

(xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं

(xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

10. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।

11. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएं :–

क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर

ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर

ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर

घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही

12. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।

13. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित संस्था को भेज दी जाए।

14. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।

15. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।

16. यदि पशु शिविर चलाने वाली संस्था/अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है, तो जांच के निस्तारण उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जावे।

17. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाऐं जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरांत पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंषा जिला कलक्टरों को करें तथा जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही स्वीकृति जारी की जावे।

18. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविर के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ–पत्र लिया जायें। (संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप)

19. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण किया जा सकेगा। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक पशु शिविर की उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग एवं **वीडियोग्राफी** अनिवार्यतः की जावे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 7 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

शासन सचिव

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग,राज.,जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव पशुपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मैं .... पुत्र/पुत्री .... उम्र.................

निवासी .... तहसील .... जिला का निवासी हूं। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं, कि

1. मेरी संस्था का नाम .... यह है।
2. मेरे पशुशिविर के संचालन का स्थान .... तहसील का नाम .... जिले का नाम .... यह है।
3. मैं इस पशु शिविर का पिछले .... वर्षों से संचालन कर रहा हूं, मेरे पशुशिविर में वर्तमान में . ...बड़े .... छोटे कुल .... पशु संधारित है।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूं कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

शपथग्रहिता

मैं.. पुत्र/पुत्री .... उम्र.................................

निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

शपथग्रहिता